संख्या- 24 / 2016/ 159 /चार-2016-37(बजट)/2015

प्रेषक,

राम विशाल मिश्रा
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय ,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ :: दिनांक 09 फरवरी,2016

विषय:- नवनिर्मित राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, कन्नौज का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवनिर्मित राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, कन्नौज का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा गठित आगणन धनराशि रू0 685.17 लाख का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा करते हुए कार्य की लागत रू0 615.00 लाख मूल्यांकित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। अतएव वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में नवनिर्मित राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, कन्नौज का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण किये जाने हेतु धनराशि रू0 615.00 लाख की प्रशासकीय तथा प्रथम चरण में धनराशि रू0 300.00 लाख (रूपये तीन करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को उक्त निर्माण कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा, जो संलग्न आगणन के सापेक्ष नियमानुसार प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित मात्राओं हेतु व्यय करेंगे।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित लेजर शो, वाल माउण्टेड डिस्प्ले क्योक्स एवं शो केस , साउण्ड सिस्टम डेकोरेटिव स्टेज परफ्यूम गैलरी, फाउण्टेन हर्षवर्धन एवं ह्वेनतुंग का स्टेचू आदि आइटमों का क्रय एवं स्थापना हेतु बजटरी आफर/ कोटेशन संलग्न किये गये है। प्रभाग का मत है कि इनका क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरे प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत:प्रशासकीय विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(4) प्रायोजना में हर्षवर्धन एवं ह्वेनतुंग का स्टेचू का भी प्राविधान किया है।अत: इन कार्यमदों को संस्कृति विभाग से वैट कराकर सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन क्रय एवं स्थापना किया जाय।

(5) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निमार्ण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे -नये कार्य बढाने, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय / कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8) प्रभाग द्वारा लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

2 - उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015 -16 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- के अन्तर्गत आयोजनागत मद के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय -04-कला तथा संस्कृति -106- संग्रहालय -06-राजकीय पुरातत्व संग्रहालय,कन्नौज का सुदृढीकरण,आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण -24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3 - यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-57/दस-2016, दिनांक 08 फरवरी 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम विशाल मिश्रा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या - 24 / 2016 / 159 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन,लखनऊ।

3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ ।

4 - वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।

5 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

6 - महा प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ

5 - परियोजना प्रबन्धक, कानपुर यूनिट-10, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 कानपुर।

7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4

8 - निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।

9 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।